

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—101/2022 (2022/215) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतनसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सपुकवंर पत्नि रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पिस्ताकंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पवनकंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्रपालसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गेहरीलाल पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दीपचन्द पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जोधा पिता हेमा बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उषा पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कमला पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कैलाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दुर्गेश पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रकाश पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लोकेश पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. शांतादेवी पुत्री सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सरीतादेवी पत्नि गोपाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरीश टेलर —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक 28.06.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज रामसिंह पिता जोधसिंह राजपूत के संयुक्त खातेदारी अधिकार के संयुक्त खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे आराजी संख्या 1822 रकबा 2.52 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया

है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 22.04.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 06.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3, 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 4, 5, 7, 8, 9, 11 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते व विपक्षी संख्या 10 फोत होने से प्रार्थी अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज रामसिंह पिता जोधसिंह राजपूत के संयुक्त खातेदारी अधिकार के संयुक्त खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे आराजी संख्या 1822 रकबा 2.52 है० भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



Sms
28.06.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी

सहायक न्यायाधीश (उपखण्ड) रायपुर जिला, भीलवाड़ा
शुमार (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—101/2022 (2022/215) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रतनसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सपुकवंर पत्नि रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पिस्ताकंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पवनकंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्रपालसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गेहरीलाल पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दीपचन्द पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जोधा पिता हेमा बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उषा पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कमला पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कैलाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दुर्गेश पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रकाश पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लोकेश पिता भंवरलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. शांतादेवी पुत्री सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सरीतादेवी पत्नि गोपाल ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज रामसिंह पिता जोधसिंह राजपूत के संयुक्त खातेदारी अधिकार के संयुक्त खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे आराजी संख्या 1822 रकबा 2.52 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/—रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/—रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



28-06-2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा